इस्लाम में बच्चों के अधिकार

1- बच्चों के लालन पालन के अधिकार के सिलसिले में मौलिक निर्देश ये हैं:

अ- हिज़ानत अर्थात बच्चे का लालन पालन की ज़िम्मेदारी मां पर शरअी तौर पर वाजिब है और यह कर्तव्य असल में मां का है। उसी को यह काम करना है बल्कि करना चाहिए। यदि मां न हो तो हक़दार यदि एक ही औरत मौजूद हो तो बच्चे का लालन पालन वाजिब ऐनी, और अनेक हों तो वाजिब किफ़ाई है।

ब- लालन पालन में बच्चा और लालन पालन करने वाला दोनों ही का ख़्याल रखा जाएगा।

ज- आम हालात में मां को लालन पालन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अलबत्ता कुछ विशेष हालात में जबकि कोई दूसरा मौजूद न हो और बच्चे के नष्ट होने की शंका हो तो मजबूर किया जाएगा।

द- लालन पालन के लिए बच्चे की मां के पास बच्चा उस समय तक रहेगा जब तक कि अपनी मौलिक ज़रूरतों जैसे खाना पीना और इस्तंजे (पेशाब पाखाना धोने योग्य) के योग्य न हो जाए। बच्चे में सात साल की उम्र है और लड़की व्यस्क या व्यस्क होने के निकट तक मां के पास रहेगी।

ह- लालन पालन करने वाले का बुद्धिमान, व्यस्क, ईमानदार और लालन पालन पर क़ुदरत रखने वाला होना है ज़रूरी है और औरत हो तो यह बात भी ज़रूरी है कि वह जिस व्यक्ति के निकाह में हो वह उस बच्चे का ग़ैर महराम न हो।

व- जिन सूरतों में बच्चे को शैक्षिक, प्रशिक्षण, शरीरिक या मनो वैज्ञानिक पहलू से हानि की शंका हो, तो इन सूरतों में लालन पालन का अधिकार निरस्त हो जाएगा।

2- अः मां बाप और अभिभावकों पर बच्चों और बच्चियों पर इतनी शिक्षा देनी आवश्यक है जिससे वे अपनी दीनी जिम्मेदारियां अदा करने के योग्य हो जाएं। इसी तरह यथा ज़रूरत आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और इस बारे में शरअी सीमाओं का ध्यान रखा जाए।

ब- यदि सरकार किसी स्तर तक की शिक्षा बच्चों और बच्चियों के लिए अनिवार्य ठहरा दे और वह शिक्षा शरअी नियमों से न टकराती हो, और औई बात ईमान व आचरण के विरुद्ध न हो और न ही बिगाड व विमुखता का कारण हो तो इसकी पाबन्दी मुसलमानों को करनी चाहिए।

ज- आज कल बच्चों के लिए जिस जिन्सी शिक्षा की मांग की जा रही है उसकी गुंजाइश इस्लाम में बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसकी बुराइयां बहुत हैं और उससे आवारगी पैदा होती हैं। ऐसी उम्र में बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए।

3- निकाह के बारे में इस्लामी शिक्षा और शरअी निर्देश यह है कि व्यस्क होने के बाद बच्चा और बच्ची की शादी में अधिक देरी न की जाए। क्योंकि इससे शरीरिक, आध्यात्मिक और समाजी हानियां पैदा होती है। कुछ ज़रूरतों की वजह से कम उम्र में निकाह का औचित्य है लेकिन बेहतर और पसन्दीदा व्यस्क के

बाद का निकाह ही है।

4- बच्चा मज़दूरी के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण है कि बच्चा दया करने और प्यार व मौहब्बत करने योग्य है अतः यथा हैसियत उसकी उत्तम शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और मानसिक व शारीरिक प्रगति व बढ़ौत्तरी के लिए बेहतर अवसर जुटाए जाएं।

5- मां बाप या अभिभावक बच्चों से जितनी हो सके उसकी शक्ति को सामने रखते हुए ऐसे घरेलू काम ले सकते हैं जिनका संबंध प्रशिक्षण और शिष्टाचार सिखाने से हो। इसी तरह उन्हें ऐसा व्यवसायिक काम भी सिखा सकते हैं जो उनके लिए हितकारी हो।

6- जो मां बाप आथिर्क तंगी का शिकार हों, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह उनकी देख भाल करे और उनके लिए वज़ीफ़े जारी करे।

7- यदि इस्लाम के उसूल शिक्षा एवं प्रशिक्षण का लिहाज़ रखा जाए तो बच्चों से अपराध नहीं होंगे। अपराधों की शरअी सज़ा जारी करने के लिए व्यस्क होना शर्त है। अतः ना बालिग़ चोरी, क़त्ल और ज़िना जैसे अपराध करे तो उस पर इस्लामी सज़ा 'क़िसास' लागू नहीं होगी अलबत्ता डांट डपट की जाएगी।

8- मां बाप, अभीभावक और अध्यापकों को बच्चों की डांट डपट का अधिकार प्राप्त है लेकिन ज़रूरी है कि यह कष्टदायक और हानिकारक न हो और शरअी सीमाओं के अन्दर हो।

9- डांट डपट के तौर पर उन्हें बच्चा जेल में रखा जा सकता है लेकिन उनको कठोर दंड देना नाजायज़ है। सज़ाएं उनकी सहन शक्ति के अनुसार दी जाएं। और कड़ी मेहनत वाला काम न लिया जाए और उनके सुधार के लिए जेलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

10- बे सहारा बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा की ज़िम्मेदारी और देख रेख सबसे पहले उनके रिश्तेदारों पर, फिर हुकूमत पर, फिर समाज या दूसरे शब्दों में आम मुसलमानों पर है। इस सिलसिले में हर विभाग को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए।

11- अत्यन्त और बहुत ही ग़रीबी के कारण अपना बच्चा दूसरे के हवाले करके उससे पूरी तरह बे ताल्लुक़ हो जाना सही नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत और समाज को सामने आना और अपना रोल अदा करना चाहिए।

12- मां बाप और अभिभावकों पर मानसिक या शारीरिक तौर पर अपंग बच्चों की देख रेख अनिवार्य है चाहे घर में रख कर हो या मजबूरी की हालत में अस्पताल में रख कर हो और ऐसे बच्चों का इलाज यथा शक्ति धैर्य व दृढ़ता के साथ किया जाए और अल्लाह से इस पर सवाब की आशा रखी जाए।

☆☆☆

नोटः 24 वां फ़िक़्ही सेमिनार (ओचीरा, केरल) दिनांक 9-11 जमादिल ऊला 1436 हि0 - 1-3 मार्च 2015 ई0